

¹[धारा 122क : माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति

- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपये की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा ।
- (2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :
परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,—
- (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और
- (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।]

1 वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 8) दिनांक 15.02.2024 द्वारा धारा 122क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।